एक दिन में 2 से ज्यादा वार्डों में करना होगा जनसंपर्क

कटनी। महापौर पद के उम्मीदवारों को प्रचार-प्रसार के लिए इस बार कम समय मिल रहा है। चुनाव चिन्हों के आवंटन के बाद उम्मीदवारों को 20 दिनों में 45 वार्डों तक पहुंचना होगा, यह किसी चुनौती से कम नहीं है। नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले कई वार्ड ऐसे हैं, जिसका न केवल क्षेत्र अधिक है, बल्कि यहां मतदाताओं की संख्या भी अधिक है। ऐसे में एक-एक वार्ड मं एक-एक मतदाता तजक पहुंचना उम्मीदवारों के लिए परेशानीदायक साबित होगा। गर्मी का मौसम होने की वजह से भी उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

महापौर उम्मीदवारों को प्रचार-प्रसार के लिए मिलेंगे 20 दिन

गौरतलब है कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल 11 जून से शुरू हो चुकी है। महापौर सहित 45 वार्डों में पार्षद पद के उम्मीदवार 18 जून तक अपने नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकेंगे। 20 जून नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 22 जून का दिन नाम वापसी के लिए निर्धारित किया गया है। इसी दिन महापौर और सभी 45 वार्डों में पार्षद पद के उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी और उम्मीदवार जनसमर्थन हासिल करने में जुट जाएंगे। रोज सुबह से ही प्रत्याशी मतदाताओं से जनसंपर्क में निकल जाएंगे। वार्डों में पहुंचकर मतदाताओं से मेल-मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 22 जून को नाम वापसी के बाद से लेकर 11 जुलाई की

22 जून को चुनाव चिन्हों के आवंटन के बाद जोर पकड़ेगा उम्मीदवारों का जनसंपर्क अभियान

शाम 5 बजे मतदान के 48 पहले चुनाव-प्रचार पर रोक लगने तक उम्मीदवारों को लगभग 20 दिन ही जनसंपर्क के लिए मिलेंगे, इस दौरान महापौर उम्मीदवारों को इतने दिनों में 45 वार्डों तक पहुंचना होगा। मतलब एक दिन में दो से ज्यादा वार्डों में जनसंपर्क करना होगा। गर्मी के मौसम में उम्मीदवार किस तरह जनसंपर्क अभियान में जुटेंगे, यह अने वाले समय में पता लगेगा। विदित हो कि कटनी जिले में नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण के अंतर्गत 6 जुलाई को नगर परिषद विजयराघवगढ़ और कैमोर एवं दूसरे चरण के अंतर्गत 13 जुलाई को नगर निगम कटनी और नगर परिषद बरही में वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।

नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम

नामांकन जमा	:	18 जून
नामांकन पत्रों की जांच	:	20 जून
नाम वापसी	:	22 जून

कब-कब होगा मतदान

प्रथम चरण	:	6जुलाई (कैमोर-विजयराघवगढ़)
द्वितीय चरण	:	13 जुलाई (कटनी-बरही)

मतगणना

प्रथम चरण	:	17 जुलाई
द्वितीय चरण	:	18 जुलाई
मतदान का समय	:	सुबह 7 से शाम 5 बजे तक

नामांकन के साथ शपथ पत्र में देना होगा अपराधिक रिकार्ड

निकाय चुनाव

पानी और बिजली बिल की एनओसी के साथ शैक्षणिक अर्हता की जानकारी भी जमा करना अनिवार्य

कटनी। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए कल 11 जून से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का सिलसिला शुरू हो गया है, हालांकि अभी तक दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा वार्डों में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। जब तक अधिकृत प्रत्याशी के नामों का ऐलान नहीं हो जाता है, तब तक नामांकन दाखिली में तेजी नहीं आएगी। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 18 जून निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून है। इसी दिन अभ्यार्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। नाम निर्देशन.पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। महापौर के लिए 20 हजार, नगरपालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार, नगरपालिका परिषद के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रूपये की निक्षेप राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करनी होगी। नाम निर्देशन.पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकार्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में नोटा इनमें से कोई नहीं का विकल्प उपलब्ध होगा। रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।

ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे

नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप, डेस्कटॉप या सायबर कैफे, एमपी ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन पत्र भर सकता है। ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन पत्र की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को देना होगा जाति प्रमाण पत्र

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन पत्र में संगत स्थान पर अपनी जातिध्वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन के निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण.पत्र संलग्न करें। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण.पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी का आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत बांधा का मामला, एक सैकड़ा से ज्यादा मतदाताओं के वार्ड बदले

मतदाता सूची में गड़बड़ी, मृत घोषित कर दिया जीवित मतदाताओं को

कटनी/रीठी। जिले में एक तरफ पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है तो वहीं दूसरी तरफ मतदाता सूची में गड़बड़ी किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। कहीं मतदाताओं के नाम काटे जाने का मामला सामने आया है तो कहीं मतदाताओं के वार्ड बदलने की शिकायतें मिल रही हैं। अब ताजा मामला रीठी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बांधा का सामने आया है, जहां 11 मतदाताओं को मृत बताकर मतदाता सूची से नाम काट दिए गए। मतदाताओं के नाम काटे जाने से पूरे ग्राम में हड़कम्प मच गया है और अब मतदाता सूची तैयार करने वाले बीएलओ और अन्रू कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। इस संबंध में सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कटनी जिले की रीठी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बांधा में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन दाखिल

बीएलओ और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग

करने के बाद उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच जब ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत बांधा की मतदाता सूची देखी तो ग्रामीणों के होश उड़ गए। गांव के निवासी द्वारका मिश्रा ने बताया कि मतदाता सूची में 11 ऐसे लोगों के नाम हैं, जो जीवित है और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। जिन लोगों को मृत घोषित किया गया है, उनके घर जाकर जब पता किया गया तो सभी 11 लोग जीवित मिले। अब सवाल यह है कि आखिर मतदाता सूची से जीवित लोगों को मृत कैसे घोषित कर दिया गया है। द्वारका मिश्रा ने बताया कि बांधा में कुल 11 वार्ड हैं, जिनमे 100 ऐसे मतदाता हैं, जिनके वार्ड बदल दिए गए हैं, जबकि वार्ड बदलने के लिए संबंधित मतदाता से आवेदन पत्र मांगा जाता है, जबकि वार्ड बदलने को लेकर आवेदन भी नहीं दिया गया है, इसके बावजूद दूसरे वार्ड में जिम्मेदारों द्वारा अन्य वार्ड में नाम तलब कर जोड़ दिए गए हैं। ऐसे में बीएलओ एवं निर्वाचन प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लग गया है।

ड्राईवर को आया नींद का झोंका, ट्रक पलटा

कटनी। रीठी बाईपास मार्ग पर शनिवार की दोपहर स्टील की बाल्टी लेकर अहमदाबाद से बनारस की ओर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पर पलट गया। बताया जाता है कि ड्राइवर को नींद का झोंका आने की वजह से यह हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना के संबंध में हासिल जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद से स्टील की बाल्टी लेकर बनारस जा रहा ट्रक क्रमांक जीजे 20 एक्स 9192 के चालक को नींद का झोंका आ गया, जिससे शनिवार की दोपहर बाल्टी लोड ट्रक रीठी बाईपास पर शासकीय मॉडल हाइस्कूल के समीप अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से उसमें लोड बाल्टी पूरी सड़क पर बिखर गई, हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। ट्रक अहमदाबाद से बनारस की ओर जा रहा था। इस संबंध में ट्रक के कर्मचारी ने बताया कि ट्रक का सेकंड ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था, तभी अचानक नींद के झोंके में ट्रक गिट्टी पर पड़ जाने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया।

रीठी बाइपास पर दुर्घटना, अहमदाबाद से बनारस जा रहा था ट्रक

दबाव डालकर वापस करवाए नामांकन

कटनी। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के दौरान बिना किसी कारण उम्मीदवारों के नामांकन निरस्त किए जाने और कई उम्मीदवारों को डरा-धमकाकर एवं प्रलोभन देकर नाम वापसी के लिए दबाव डालने की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से की गई है। केन्द्रीय आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को पूरे मामले की जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह शिकायत एडव्होकेट अवनीश तिवारी द्वारा की गई थी। शिकायत में कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा सत्तापक्ष के दबाव में काम करते हुए जिला पंचायत के वार्ड नंबर 8 से विदेशवरी पटेल एवं वार्ड नंबर 3 से रामनारायण मौर्य का नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार कर दिया गया, जबकि दिसंबर-जनवरी 2022 में विदेश्वरी पटेल का जिला पंचायत वार्ड नंबर 7 से नामांकन स्वीकार करते हुए बैलगाड़ी चुनाव चिह्न एवं रामनारायण मौर्य को सरपंच स्लीमनाबाद प्रत्याशी के रुप में अनाज उड़ाता हुआ किसान चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था। इसी तरह वार्ड नंबर 9 में बुदिया बाई के पास जिला पन्ना द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र है, जो कि कटनी में स्वीकार्य नहीं है। इस संबंध में जब अन्य उम्मीदवार राजेश कुमार ने आपत्ति पेश की तो दबाव देकर आपत्ति ही वापस करा दी गई। शिकायत में अवनीश तिवारी ने बताया कि वार्ड नंबर 3 के प्रत्याशी गणेश तिवारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र मूल निक्षेप राशि, रसीद एवं जमा पावती के बिना दोपहर 12:20 पर वापस लेने के बाद शिकायतकर्ता अवनीश तिवारी को पुलिस का नोटिस दिया गया। सोची समझी रणनीति के तहत पहले तो अवनीश तिवारी के बदले गणेश तिवारी का फार्म जमा करवाया गया और फिर सत्तापक्ष के एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं एक उम्मीदवार के द्वारा दबाव, प्रलोभन देकर गणेश तिवारी से फार्म वापस करा दिया। इस बात की शिकायत पहले ही अवनीश तिवारी द्वारा चुनाव आयोग से की जा चुकी थी, इसके बाद भी निर्वाचन एवं पुलिस अधिकारियों ने फार्म वापस कराने के पहले शिकायतकर्ता का पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। इस पूरे मामले की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से की गई है। इस मामले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है।

भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत, जांच एवं कार्रवाई की मांग

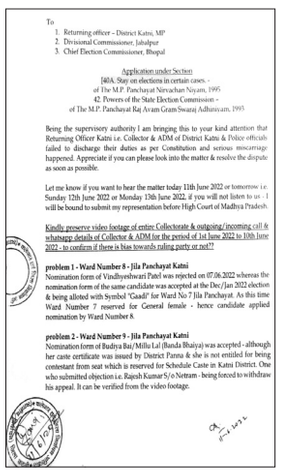

चुनाव प्रचार सामग्री
फ्लैक्स बैनर
पोस्टर, स्टीकर
पम्फलेट
बैलेट पेपर नमूना
बाईक झण्डा, स्टीकर
विजिटिंग कार्ड
टी-कैप, टोपी
झण्डा, पटका
लड़ी झालर
बिल्ला, वोटर पर्ची
नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत एवं सभी राजनीतिक दलों और आजाद उम्मीदवारो की चुनाव प्रचार सामग्री तैयार की जाती है।
कृष्णा ट्रेडर्स
सुभाष चौक, कटनी (मध्य प्रदेश)
Mob. 9981670040, 9009670040, 8630484538, 6202109401

PRE. REGISTRATION
सांईनाथ इंस्टीट्यूशन/ श्री हास्पिटल
सर्व सुविधायुक्त कॉलेज हॉस्टल एवं बस की सुविधा उपलब्ध

पाठयक्रम	योग्यता	कोर्स अवधि	उम्र
डी.एल.एड.	12वीं पास (किसी भी विषय)	2 वर्ष	17 वर्ष से उपर
बी.ए.बी.एड.	12वीं पास (किसी भी विषय)	4 वर्ष	17 वर्ष से उपर
बीएससी बीएड	12वीं पास (विज्ञान/गणित)	4 वर्ष	17 वर्ष से उपर

एन.सी.टी.ई. नई दिल्ली म.प्र. एवं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर व माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल
नोटः- एसटी/एसटी/ओबीसी छात्र-छात्राओं को म.प्र. शासन के नियमानुसार शिक्षण शुल्क लाभ प्राप्त करें
श्री हास्पिटल एम.एम. चौबे वार्ड, एनएच-7 बरगवां, कटनी मो. 8962262200, 9425325316, 9752414318

यदि आप तक समय पर यश भारत नहीं पहुंच रहा है तो संपर्क करें फोनः- 230033

KINETIC GREEN Think Electric. Think Kinetic
कटनी का एकमात्र विश्वसनीय इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम
पेट्रोल की लाईन से छुटकारा पैसे और समय की बचत सालाना इंश्योरेंस से मुक्ति तिमाही इंजन ऑयल एवं अन्य खर्चों से बचत पी.यू.सी. की जरूरत नहीं ध्वनि एवं वायु प्रदूषण में बचाव कीमत भी बजट भी
फायदा ही फायदा
वजन में हल्की होने से सभी आयु वर्ग के लिए उत्तम
ZOOM ELECTRIC
ZING ELECTRIC
Perfomance 100 Km/Charge
Charging Time 3 hours No licence No registration

अधिकृत विक्रेता
कार्तिक मोटर्स
सफर करने की अपनी स्वतंत्रता
संस्कार भारती स्कूल के पास के जालपा मंदिर रोड, कटनी फोन 07622-356550, मो. 9993299677, 9893435177

PRE. REGISTRATION सांईनाथ स्कूल/कालेज ऑफ नर्सिंग
सर्व सुविधायुक्त कॉलेज हॉस्टल एवं बस की सुविधा उपलब्ध

पाठयक्रम	योग्यता	कोर्स अवधि	उम्र
एएनएम	12वीं पास (किसी भी विषय)	2 वर्ष	17 वर्ष से ऊपर
जीएनएम	12वीं पास (किसी भी विषय)	3 वर्ष	17 वर्ष-35 वर्ष
बीएससी (नर्सिंग)	12वीं पास (बायो.)	4 वर्ष	17 वर्ष से ऊपर
पोस्ट बेसिक बीएससी	जीएनएम पास	2 वर्ष	17 वर्ष से ऊपर
एमएससी (साइकेट्री)	बीएससी नर्सिंग पास	2 वर्ष	17 वर्ष से ऊपर
एमएससी (कम्युनिटी ऑफ नर्सिंग)		2 वर्ष	17 वर्ष से ऊपर

नोटः- एसटी/एसटी/ओबीसी छात्र-छात्राओं को म.प्र. शासन के नियमानुसार शिक्षण शुल्क लाभ प्राप्त करें
इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल से मान्यता प्राप्त
श्री हास्पिटल एम.एम. चौबे वार्ड, एनएच-7 बरगवां, कटनी मो. 8962262200, 9425325316, 9752414318

JOHNSON Not just tiles, Lifestyles.

सभी प्रकार के ग्रेनाईट टाईल्स, इटेलियन मार्बल, सिन्क, कोटा, कड़प्पा पत्थर होलसेल रेट पर मिलने का एकमात्र स्थान
समर्थ
मार्बल एण्ड ग्रेनाईट
पता- टीवीएस शोरूम के बाजू में जबलपुर रोड, बरगवां कटनी मो. 9425153498, 7067666668

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आशीष शुक्ला द्वारा जनपक्ष प्रिंटिंग एवं पब्लिशिंग, गोपालबाग जबलपुर-2 से मुद्रित एवं कचहरी चौक कटनी से प्रकाशित। सम्पादक-श्याम कटारे एवं स्थानीय सम्पादक-आशीष सोनी*। फोन (07622) 406666, 230033, जबलपुर कार्यालय फोन- (0761) 2643333, 2646666 फैक्स (0761) 4084085 डाक पंजीयन क्रं. एसएसपी/ जबलपुर/ 26/22-24 *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी.एक्ट के तहत जिम्मेदार। RNI No. MPHIN/2007/21090. email - katni@yashbharat.com (न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जबलपुर)